न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0
40/2022

तारीख फैसला 19.8.22

पीठासीन अधिकारी–हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1– रामविलास आत्मज श्योकरण उर्फ शिवकरण
2– सुरेश आत्मज श्योकरण उर्फ शिवकरण
जाति मीणा निवासीगण मण्डोला तहसील दीगोद जिला कोटा

(वादीगण)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादीगण की ओर से – श्री श्री प्रमोद कुमार चौधरी एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय

वादीगण ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण व अन्य सहखातेदारान के खाते व कब्जे काश्त की ग्राम मण्डोला तहसील दीगोद जिला कोटा में नया खाता सं0 165 पर खसरा नम्बर 121 की 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 221 की 0.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 330 की 2.66 हेक्टर, खसरा नम्बर 42 की 0.40 हेक्टर, खसरा नम्बर 86 की 0.03 हेक्टर कुल किता 5 की 3.25 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संम्वत 2073–2076 संलग्न है।

यह कि वादीगण व अन्य सहखातेदारान के खाते व कब्जे काश्त की ग्राम मण्डोला तहसील दीगोद जिला कोटा में नया खाता सं0 164 पर खसरा नम्बर 468 की 1.98 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 संलग्न है।

यह कि उपरोक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के वादीगण के पिता का नाम श्योकरण दर्ज है। जबकि वादीगण के पिता का नाम शिवकरण है। उक्त भूमि वादीगण व उनकी माता मांगी बाई सहखातेदार को वादीगण के पिता की मृत्यु के बाद विरासत में प्राप्त हुई है।

यह कि वादीगण के आधार कार्ड, पेन कार्ड, [illegible] खाते में एवं आदि सरकार दस्तावेजों में वादीगण के पिता का नाम शिवकरण अंकित है किन्तु राजस्व रिकार्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:17:27 IST
Reason: SelfAttested

श्योकरण दर्ज हो गया है। इस कारण राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम श्योकरण के स्थान पर शिवकरण अंकित किया जाना आवश्यक है।

अतः वादीनी ने निवेदन किया है कि ग्राम मण्डोला तहसील दीगोद जिला कोटा की नया खाता सं0 165 पर खसरा नम्बर 121 की 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 221 की 0.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 330 की 2.66 हेक्टर, खसरा नम्बर 42 की 0.40 हेक्टर, खसरा नम्बर 86 की 0.03 हेक्टर कुल किता 5 की 3.25 हेक्टर भूमि एवं नया खाता सं0 164 पर खसरा नम्बर 468 की 1.98 हेक्टर भूमि में वादीगण के पिता का नाम श्योकरण के स्थान पर शिवकरण दर्ज किये जाने और राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने की प्रतिवादी के विरूद्व आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी तहसीलदार की ओर से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में श्योकरण एवं शिवकरण एक ही व्यक्ति होना प्रकट किया है।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार जाकर ग्राम मण्डोला तहसील दीगोद जिला कोटा की नया खाता सं0 165 पर खसरा नम्बर 121 की 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 221 की 0.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 330 की 2.66 हेक्टर, खसरा नम्बर 42 की 0.40 हेक्टर, खसरा नम्बर 86 की 0.03 हेक्टर कुल किता 5 की 3.25 हेक्टर भूमि एवं नया खाता सं0 164 पर खसरा नम्बर 468 की 1.98 हेक्टर भूमि में रामविलास आत्मज शिवकरण एवं सुरेश आत्मज शिवकरण दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.8.22 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:17:27 IST
Reason: SelfAttested